



राज्य नं. एल. डब्ल्यू. / एम. पी. 890
साइसेन्स नं० डब्ल्यू पी०-४१
साइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सिडनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधाधी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

संखनऊ, बृहस्पतिवार, २४ सितम्बर, १९९८

श्राविकन २, १९२० शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-१

संख्या १५२१ ए/६४-१-९८-५१-९८

संखनऊ, २४ सितम्बर, १९९८

अधिसूचना

प०स०—४८०

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रारक्षण) अधिनियम, १९९४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४ सन् १९९४) की धारा १३ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची एक में, प्रविष्टि ६९ के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी;

“७०-कगुआ”

प्राज्ञा से,
आर० वी० भास्कर,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रसाधारण गजट, 24 सितम्बर, 1998

2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1521A/LXIV-1-98-51-98, dated September 24, 1998 :

No. 1521 A/LXIV-1-98-51-98

Dated Lucknow, September 24, 1998

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in schedule 1 of the aforesaid Act:—

AMENDMENT

In Schedule 1 of the aforesaid Act, after entry 69, the following entry shall be inserted, namely:—

“70—KATUA”

By order,
R. B. BHASKAR,
Pranuloh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 1521 ए (1)/64-1-98-51-98

लखनऊ, 24 सितम्बर, 1998

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-1521ए/64-1-98-51-98, दिनांक 24 सितम्बर, 1998 की प्रति निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :-

- 1--समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन ।
- 2--समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उ० प्र० ।
- 3 --समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र० ।
- 4--प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ० प्र० ।
- 5--राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ० प्र० ।
- 6--प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निबंधक ।
- 7--निबंधक, उ० प्र० सहकारी समितियां, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 8--समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ० प्र० ।
- 9--समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान, उ० प्र० ।
- 10--निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० लखनऊ ।
- 11--निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/वैसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, उ० प्र० ।
- 12--समस्त अध्यक्ष जिला परिवहन/नगर निगम/नगरपालिका/डाउन एरिया, उ० प्र० ।
- 13--निबंधक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- 14--निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 15-- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उ० प्र० ।
- 16--सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
- 17--सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग, आयोग, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 18--निदेशक, उ० प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- 19--प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ० प्र० शासन ।
- 20--समस्त निजी सचिव मा० मंत्रीगण, उ० प्र० शासन ।
- 21--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 22--संपूर्ण निदेशक, मुद्रण एवं लेखन, सामग्री ऐशवाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश व अधिसूचना में दिये गये दिनांक के अनुसार प्रकाशन की तिथि निश्चित करते हुए पृष्ठांकन सहित अधिसूचना की 2000-2000 प्रतियां संलग्न कराकर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

आज्ञा से,
हीरामणि सिंह यादव,
विशेष सचिव ।